राज्य सूचना आयोग
बिहार, पटना

के0 संख्या– 54 / 06–07

विषयः– श्री बलदेव प्रसाद साह, प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, चतरा ग्राम+पोस्ट–हरपुर बोचहा, जिला–समस्तीपुर–848503 का प्राप्त आवेदन–पत्र।

———————————————————————————————————

10.11.2006 आवेदन पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए शिक्षा सचिव के माध्यम से लोक सूचना पदाधिकारी, शिक्षा विभाग से प्रतिवेदन की मांग 02.12.2006 तक की जाये एवं सुनवाई हेतु दिनांक–05.12.2006 को पूर्वाह्न 11.00 बजे रखा जाये।

(पी0एन0 नारायणन)	(मो0 शकील अहमद)	(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

05.12.2006 दिनांक 10.11.2006 के आदेश के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई अभी तक नहीं हो पायी है। अतएव सुनवाई के लिए दिनांक 05.01.07 को 11.00 बजे प्रातः उपस्थापित किया जाय।

(पी0एन0 नारायणन)	(मो0 शकील अहमद)	(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

08.01.2007 वांछित प्रतिवेदन प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा से प्राप्त नहीं हुआ है। निदेशक, प्राथमिक शिक्षा को व्यक्तिगत रूप से दिनांक 16.01.07 के पूर्व पूर्ण प्रतिवेदन तीन प्रतियों में भेजने हेतु निदेशीत करें एवं सुनवाई दिनांक 16.01.07 को प्रातः 10.30 बजे उपस्थित रहने के लिए सूचित किया जाय।

आवदेक को भी इसकी सूचना दी जाय।

(मो0 शकील अहमद)	(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

16.01.2007 आयोग ने अपने आदेश दि0 08.01.2007 का अवलोकन किया इससे विदित होगा की पूर्व0 के आदेश का अनुपालन नहीं होने के कारण निदेशक प्राथमिक शिक्षा को व्यक्तिगत रूप से दि0 16.01.2007 को आयोग के समझ सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने का आदेश दिया गया था। लेकिन न तो उनका कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है और न ही वे स्वयं उपस्थित है तामिला प्रतिवेदन के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है, अतएव उन्हें एक और मौका देते हुए दि0 05.02.2007 को पूर्वा0 10.30 बजे सुनवाई के लिए रखाा जाता है। निदेशक, प्राथमिक शिक्षा एवं जिला शिक्षा अधीक्षक, समस्तीपुर अगली तिथि को सुनवाई के लिए निश्चित रूप से उपस्थित रहेंगे। वादी की उपस्थिति में यह आवेश पारित किया गया एवं इसकी सूचना देने की जरूरत नहीं है, प्रतिवादी को सूचित करें।

(पी0एन0 नारायणन)	(मो0 शकील अहमद)	(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

05.02.2007 वादी श्री बलदेव प्रसाद साह उपस्थित है । शिक्षा विभाग की ओर से निदेशक (प्राथमिक शिक्षा) एवं जिला शिक्षा अधीक्षक, समस्तीपुर उपस्थित थे । वादी ने बताया कि 1974 से 1976 की अवधि के लिए भुगतान नहीं मिला है । जिला शिक्षा अधीक्षक ने बताया कि इस संबंध में सेवा पुस्तिका शीघ्र प्राप्त करके उनके स्तर से दो सप्ताह में निर्णय लेकर वादी को सूचना दे दी जायेगी तथा इसकी सूचना आयोग को भी दे दी जायेगी । दिनांक 26.02.2007 को 10.30 बजे पूर्वाह्न में इसे उपस्थापित किया जाय । चूँकि वादी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक दोनों आयोग के सम्मुख उपस्थित हैं, अतएव, इन लोगों को अलग से सूचना देने की आवश्यकता नहीं है ।

(मो0 शकील अहमद)
राज्य सूचना आयुक्त

(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

26.02.2007 आवेदक उपस्थित है एवं जिला शिक्षा अधीक्षक, समस्तीपुर भी उपस्थित हैं। आवेदक का कहना है कि उनके द्वारा सूचना दे दी गयी है। अतएव वाद को समाप्त किया जाता है।

(मो0 शकील अहमद)
राज्य सूचना आयुक्त

(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त